



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2387

दिनांक-30.09.2025

जोन-पश्चिमी/थाना-कैसरबाग

- सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन व थाना कैसरबाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 05 शातिर चोर/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से एक-एक अदद डायरी व कैटलाग, एक अदद डेल कम्पनी का लैपटॉप व जामातलाशी से प्राप्त धनराशि कुल 1660/- रुपये व नकद प्राप्त धनराशि 3300/- रुपये व आधार कार्ड आदि

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25/09/2025 को वादी श्री अनुराग सक्सेना पुत्र स्व0 आदित्य कुमार सक्सेना निवासी V-15 शालीमार गार्डन बे. IIM रोड, लखनऊ द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की कार में रखे बैग जिसमें एक-एक अदद डायरी व कैटलाग, एक अदद डेल कम्पनी का लैपटॉप व जामातलाशी से प्राप्त धनराशि कुल 1660 रुपये व नकद प्राप्त धनराशि 3300 रुपये व आधार कार्ड आदि चोरी कर लेने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 167/2025 धारा 303(2) BNS पंजीकृत किया गया था।

गहन विवेचना के क्रम में पतारसी सुरागरसी मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनांक 30.09.2025 को 05 शातिर अभियुक्तों 1. रंगनाथम सी पुत्र चन्द्र शेखर 2. सत्यराज टी पुत्र थंगराज 3. लोणु अलियास लिंगरामन पुत्र पाण्डुरंगम 4. अब्दुल असन पुत्र महबूब जान 5. इलंगेश्वरन पुत्र प्रकाश मय माल मसरूका एक-एक अदद डायरी व कैटलाग, एक अदद डेल कम्पनी का लैपटॉप व जामातलाशी से प्राप्त धनराशि कुल 1660/- रुपये व नकद प्राप्त धनराशि 3300/- रुपये व आधार कार्ड आदि के थाना कैसरबाग पुलिस एवं सर्विलांस टीम के अथक प्रयासों के पश्चात गिरफ्तार कर लिया गया।

बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3(5)/317(2) बीएनएस बढोतरी करते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड स्वीकृत कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-अपराध का तरीका-

अभियुक्त गण एक साथ मिलकर लखनऊ शहर व अन्य शहरों में खड़े चार पहिया वाहनो मे रखे सामानों को ग़ो़जनाबद्ध तरीके से चोरी करते हैं। चार पहिया वाहनों में बैठे लोगो को अपने साथी द्वारा गिराये गये नोटो के लालच मे डालकर गिरे नोटो को उठाने का झांसा देते हैं। तीसरा साथी लोगों को बातों मे उलझाते हैं और चौथा उसी दौरान वाहन में रखे सामानों की चोरी कर लेता है, यदि किसी वाहन का शीशा बन्द है तो पांचवा खबर बैन्ड व छरों से गाडी का शीशा तोडकर चोरी करने में सहयोग करता है और बैग उठाने वाले व्यक्ति को यदि जनता के लोगों द्वारा पकड़े जाते हैं तो हम सभी लोग जनता के लोगों से मिलकर बैग उठाने वाले व्यक्ति को मौके से निकाल देते हैं। इस प्रकार अभियुक्त गण पकड़े नहीं जाते हैं।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. रंगनाथम सी पुत्र चन्द्र शेखर निवासी 3/159-ए न्यू कडूर थाना रामजीनगर जिला तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु उम्र करीब 51 वर्ष
2. सत्यराज टी पुत्र थंगराज निवासी 1/93 मलाईपट्टी के कलीकुडी श्रीरंगम तालुक के कलीकुडी थाना रामजी नगर जिला तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु उम्र करीब 39 वर्ष
3. लोगु अलियास लिंगरामनपुत्र पाण्डुरंगम निवासी 1 वैक्कल कराई थाना तिरुकन्नौर जिला पुडुचेरी पांडिचेरी उम्र करीब 42 वर्ष
4. अब्दुल असन पुत्र महबूब जान निवासी 2/34 गोरी मेड दीनदकल रोड थाना कैण्टोमेन्ट जिला तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु उम्र करीब 41 वर्ष
5. इलंगेश्वरन पुत्र प्रकाश निवासी 1/215 मलाई पट्टी रामजी नगर थाना रामजी नगर जिला तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु उम्र करीब 47 वर्ष

05- आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त सत्यराज

1. अ0सं0 551/22 धारा 420/379/34 भादवि0 थाना डीबीजी रोड
2. अ0सं0 1102 धारा 379/427/34 भादवि0 थाना कविनगर
3. अ0सं0 496/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिहानीगेट दिल्ली
4. डीडी नं0-13ए 41(1) सीआरपीसी थाना हाजखास दिल्ली
5. अ0सं0 846/23 धारा 379 भादवि0 थाना के0एम पुर
6. अ0सं0 329/24 धारा 379/411/120बी/34 भादवि0 कोतवाली

अभियुक्त रंगनाथन

1. डीडी नं0 37 41(1) सीआरपीसी
2. अ0सं0 41/15 धारा 379 भादवि
3. अ0सं0 28/15 धारा 379 भादवि
4. अ0सं0 10/15 धारा 379 भादवि
5. अ0सं0 69/15 धारा 379 भादवि
6. अ0सं0 41/15 धारा 379 भादवि
7. अ0सं0 271/14 धारा 379/411 भादवि
8. अ0सं0 31/15 धारा 379/411 भादवि
9. अ0सं0 68/17 धारा 379/411/34 भादवि
10. अ0सं0 13/17 धारा 379 भादवि
11. अ0सं0 168/17 धारा 379 भादवि
12. अ0सं0 120/17 धारा 379 भादवि
13. अ0सं0 143/17 धारा 379 भादवि
14. अ0सं0 87/17 धारा 379 भादवि
15. अ0सं0 77/18 धारा 379/411/401/34 भादवि थाना कनाटपैलेस
16. अ0सं0 76/17 धारा 379/401/411/34 भादवि थाना कनाटपैलेस
17. अ0सं0 75/17 धारा 379/401/411/34 भादवि थाना कनाटपैलेस

18. अ0सं0 86/22 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट
19. अ0सं0 486/23 धारा 379 भादवि
20. डीडी नं0-13ए 41(1) सीआरपीसी थाना हौजखास दिल्ली

अभियुक्त अब्दुल

1. अ0सं0 364/10 धारा 379/411 भादवि थाना अन्य
2. अ0सं0 118/16 धारा 379/34 भादवि थाना अन्य
3. अ0सं0 81/16 धारा 356/379/37 भादवि थाना अन्य
4. अ0सं0 27/16 धारा स्टेट बनाम अब्दुल हसन थाना अन्य
5. अ0सं0 77/18 धारा 379/401/411/34 भादवि थाना कनाटपैलेस
6. अ0सं0 76/18 धारा 379/401/411/34 भादवि थाना कनाटपैलेस
7. अ0सं0 78/18 धारा 379/401/411/34 भादवि थाना कनाटपैलेस
8. अ0सं0 323/18 धारा 379 भादवि थाना करोलबाग

06.बरामदगी-

- एक-एक अदद डायरी व कैटलाग,
- 014 अदद डेल कम्पनी का लैपटाप
- जामातलाशी से प्राप्त धनराशि कुल 1660 रूपये
- नकद प्राप्त धनराशि 3300 रूपये
- आधार कार्ड आदि

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अजंजी कुमार मिश्र – थाना कैसरबाग
2. उ0नि0 राजेश कुमार यादव, – थाना कैसरबाग
3. उ0नि0 प्रशांत कुमार, – थाना कैसरबाग
4. उ0नि0 पंकज कुमार यादव, – थाना कैसरबाग
5. उ0नि0 विशाल सिंह, – थाना कैसरबाग
6. उ0नि0 अरविन्द कुमार, – थाना कैसरबाग
7. उ0नि0 गौरव बाजपेई, – थाना कैसरबाग
8. उ0नि0 रामकेश सिंह, – थाना कैसरबाग
9. उ0नि0 योगेश चंदेल, – थाना कैसरबाग
10. उ0नि0 आशीष बालियान, – सर्विलांस टीम
11. हे0का0 वीर सिंह, – सर्विलांस टीम
12. हे0का0 प्रदीप तिवारी, – सर्विलांस टीम
13. का0 आशीष कुशवाहा, – सर्विलांस टीम
14. उ0नि0 अंकित कुमार – सर्विलांस टीम
15. का0 अनुज कुमार – थाना कैसरबाग
16. का0 कुलदीप राठौर – थाना कैसरबाग
17. का0 धर्मेन्द्र सिंह – थाना कैसरबाग



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2384

दिनांक-30.09.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- मडियांव

- थाना मडियांव पुलिस टीम द्वारा कार्य सरकार में बाधा डालने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- ग्राम गजराहार एवं ग्राम घैला की सीमा पर एग्री स्टैग क्राप सर्वे करने के लिए आये थे लेखपाल सदर लखनऊ।

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 28.09.2025 को आवेदक श्री आनन्द श्रीवास्तव पुत्र राम शंकर श्रीवास्तव निवासी ग्राम रौरापुर थाना तालगाँव जिला सीतापुर (लेखपाल सदर लखनऊ) द्वारा बावत ग्राम गजराहार एवं ग्राम घैला की सीमा पर एग्री स्टैग क्राप सर्वे करने के दौरान वादी व वादी के भाई के साथ विपक्षीगण द्वारा मारपीट गाली गलौज सरकारी अभिलेख फाड़ देने व वादी के भाई को तालाब में हत्या के इरादे से पानी में डुबा देने व कार्य सरकार में बाधा डालने व जान माल की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 585/25 धारा 115(2)/109(1)/121(1)/324(2)/352/351(3)/ BNS बनाम 1. भूरिया पुत्र इरफान 2. रेहान पुत्र इदरीस 3. फुरखान पुत्र इदरीस अली निवासी ग्राम घैला 4. अन्य अज्ञात लोगो निवासी अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 30.09.2025 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित/ अभियुक्तगण की तलाश में चौकी क्षेत्र घैला में मामूर थी कि मुखबिर खास द्वारा सूचना पर कैरियर चौराहे के पास से आरोपी अभियुक्त फुरकान पुत्र स्व0 इरशाद अली निवासी ग्राम घैला थाना मडियांव लखनऊ उम्र करीब 53 वर्ष को पकड़ा गया। आरोपी मु0अ0सं0 585/25 थाना मडियांव लखनऊ में वांछित अभियुक्त है।

जिसे उसके द्वारा कारित जुर्म व धारा 115(2)/109(1)/121(1)/324(2)/352/351(3)/ 61(2) बीएनएस से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। दौरान गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

अभियुक्त द्वारा ग्राम वादी मुकदमा को गजराहार एवं ग्राम घैला की सीमा पर एग्री स्टैग क्राप सर्वे करने के दौरान वादी व वादी के भाई के साथ विपक्षीगण द्वारा मारपीट गाली गलौज सरकारी अभिलेख फाड़ देने व वादी के भाई को तालाब में हत्या के इरादे से पानी में डुबा देने व कार्य सरकार में बाधा डालना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. फुरकान पुत्र स्व0 इरशाद अली निवासी ग्राम घैला थाना मडियांव लखनऊ उम्र करीब 53 वर्ष / खेती

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 01.उ0नि0 श्री उ0नि0 अमित साहू
- 02.हे0का0 अशफाक अहमद



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2383

दिनांक: 30.09.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- मडियांव

लखनऊ पुलिस की बड़ी सफलता: अंतर्राज्यीय मोबाइल-लैपटॉप चोरी गिरोह का पर्दाफाश

- शहर में सक्रिय तमिलनाडु गिरोह के 05 चोर गिरफ्तार।
- लाखों रुपये कीमत के 65 मोबाइल-15 लैपटॉप-02 टैबलेट बरामद, 82 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स व 2 बाइक्स के साथ 5 शांति अभियुक्त गिरफ्तार
- मुखबिर की सूचना पर सर्विलांस/क्राइम टीम (डीसीपी उत्तरी) व थाना मडियांव की संयुक्त पुलिस टीम का आईआईएम रोड पर त्वरित ऑपरेशन।
- तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के हैं पांचो आरोपी।

लखनऊ, 30 सितम्बर, 2025: लखनऊ पुलिस ने जनपद में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को दृढ़तापूर्वक कायम रखते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। जोन-उत्तरी के डीसीपी की क्राइम/सर्विलांस टीम और थाना मडियांव की संयुक्त पुलिस टीम ने एक अत्यधिक सक्रिय अंतर्राज्यीय शांति चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके 05 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह पर लखनऊ व आस-पास के जनपदों में मोबाइल फोन और लैपटॉप की सैकड़ों चोरियों का आरोप है।

घटना का विस्तृत विवरण:

दिनांक 30.09.2025 को थाना मडियांव की पुलिस टीम रोकथाम व तलाशी अभियान के तहत अजीजनगर चौराहे पर तैनात थी। इसी दौरान एक विश्वसनीय मुखबिर द्वारा तत्काल सूचना दी गई कि आईआईएम रोड के यादव चौराहे के निकट कुछ संदिग्ध व्यक्ति दो मोटरसाइकिलों एवं अनेक पिट्टू बैगों के साथ खड़े हैं, जिनमें चोरी के लैपटॉप व मोबाइल होने की संभावना है।

मुखबिर ने यह भी बताया कि यह गिरोह विभिन्न स्थानों से चोरी का सामान एकत्र करके अन्य राज्यों में बेचने का कार्य करता है। त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने हिकमत अमली का प्रयोग करते हुए सभी पांचों संदिग्धों को उनके कब्जे में बड़ी मात्रा में अवैध सामान के साथ पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया।

कानूनी कार्यवाही:

पकड़े गये अपराधियों को उनके द्वारा कारित जुर्म व जुर्म धारा 305(a)/305/303(2)/317(2)/317(4) बी0एन0एस0 से अवगत कराते हुए दिनांक 30.09.2025 समय करीब 00.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 587/2025 धारा 317(2)/317(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

इस गिरोह के खिलाफ लखनऊ के विभिन्न थानों (अलीगंज, चिनहट, बाजारखाला, विकासनगर, बी.के.टी.) तथा जालौन जनपद में भी एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनका अनावरण किया जा रहा है।

सभी अभियुक्तों को संबंधित कानूनी धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। गिरफ्तारी के दौरान सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया।

अपराध का उद्देश्य व कार्यप्रणाली:

पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अभियुक्तों का यह गिरोह लखनऊ महानगर सहित आस-पास के जनपदों (जैसे जालौन) में सुनियोजित तरीके से मोबाइल फोन और लैपटॉप की चोरी करता था।

चोरी का सामान वे पहले से तय ठिकानों पर एकत्र करते और फिर उसे तमिलनाडु जैसे दूरस्थ राज्यों में ले जाकर स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। इस "चोरी-परिवहन-बिक्री" की अंतर्राज्यीय शृंखला पर पुलिस ने इस कार्रवाई से विराम लगाया है।

अभियुक्तों की कब्जे से निम्नलिखित विस्तृत सामान बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है:

- **65 मोबाइल फोन:** एप्पल, सैमसंग, वनप्लस, रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, पोको, IQOO सहित लगभग सभी प्रमुख कंपनियों के।
- **15 लैपटॉप:** एप्पल मैकबुक, DELL, HP, ASUS, LENOVO, MSI सहित गेमिंग और बिजनेस कैटेगरी के।
- **02 टैबलेट:** ONE PLUS कंपनी के।
- **02 मोटरसाइकिलें:** वाहन संख्या UP92N8882 (हीरो स्प्लेंडर) व UP92W7607 (हीरो एचएफ डिलक्स)।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:

लखनऊ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पांचों अभियुक्त तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले के निवासी पाए गए हैं, जो एक संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह का हिस्सा बताए जा रहे हैं।

1. कार्तिक सीनिवासन

- **पिता:** श्री सीनिवासन **निवास:** 3/140, शंकरापुरम, गुडियाथम तालुक, नरियमबटूर, थाना मेलपट्टी, जनपद वेल्लोर, तमिलनाडु
- **उम्र:** 31 वर्ष **व्यवसाय:** चालक

2. मुत्तू

- **पिता:** श्री अन्नामलई **निवास:** शंकरापुरम, गुडियाथम तालुक, नरियमबटूर, थाना मेलपट्टी, जनपद वेल्लोर, तमिलनाडु
- **उम्र:** 30 वर्ष **व्यवसाय:** चालक

3. गोपाल

- **पिता:** श्री गुरुमूर्ति **निवास:** शंकरापुरम, गुडियाथम तालुक, नरियमबटूर, थाना मेलपट्टी, जनपद वेल्लोर, तमिलनाडु
- **उम्र:** 27 वर्ष **व्यवसाय:** चालक

4. हरि

- **पिता:** श्री वेकंटेन **निवास:** शंकरापुरम, गुडियाथम तालुक, नरियमबटूर, थाना मेलपट्टी, जनपद वेल्लोर, तमिलनाडु
- **उम्र:** 30 वर्ष **व्यवसाय:** मोची (जूते का कारीगर)

5. अजय नारायनन

- **पिता:** श्री नारायनन **निवास:** 549, उडियारजा पलयम, थोडुलम, थाना माल्लौर, जिला वेल्लोर, तमिलनाडु
- **उम्र:** लगभग 50 वर्ष **व्यवसाय:** पेंटर (रंगाई का काम)

04-अनावरण मुकदमें-

गिरफ्तारी के बाद हुई जाँच में इस गिरोह के खिलाफ लखनऊ और जालौन जनपदों के विभिन्न थानों में कम से कम 10 मुकदमे पहले से दर्ज पाए गए हैं।

- **लखनऊ:** 08 मुकदमे (थाना मडियांव, अलीगंज, चिनहट, बाजारखाला, विकासनगर, बी.के.टी.)
- **जालौन:** 02 मुकदमे (थाना कोतवाली ऊर्ई)

01. मु0अ0सं0 394/2025 धारा 305(a) बीएनएस थाना मडियांव जनपद लखनऊ

02. मु0अ0सं0 587/2025 धारा 317(2)/317(4) बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ

03. मु0अ0सं0 202/25 धारा 305 बीएनएस थाना अलीगंज जनपद लखनऊ

04. मु0अ0सं0 547/25 धारा 305(a) बीएनएस थाना चिनहट जनपद लखनऊ

05. मु0अ0सं0 0153/25 धारा 305(a) बीएनएस थाना बाजारखाला जनपद लखनऊ

06. मु0अ0सं0 141/25 धारा 305(a) बीएनएस थाना विकासनगर जनपद लखनऊ

07. मु0अ0सं0 403/25 धारा 305(a) बीएनएस थाना बी0के0टी0 जनपद लखनऊ

08. मु0अ0सं0 408/25 धारा 305(a) बीएनएस थाना बी0के0टी0 जनपद लखनऊ

09. मु0अ0सं0- 551/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली ऊर्ई जनपद जालौन

10. मु0अ0सं0- 571/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली ऊर्ई जनपद जालौन

आपराधिक इतिहास कार्तिक सीनिवासन

1. **मुकदमा संख्या:** 167/2024 धारा 380 (IPC)

◦ **थाना:** सरवर्णपट्टी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु

2. **मुकदमा संख्या:** 172/2024 धारा 380 (IPC)

◦ **थाना:** सरवर्णपट्टी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु

3. **मुकदमा संख्या:** 277/2024 धारा: 380/506(ii) (IPC)

◦ **थाना:** सरवर्णपट्टी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु

4. **मुकदमा संख्या:** 183/2024 धारा 380 (IPC)

◦ **थाना:** सरवर्णपट्टी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु

5. **मुकदमा संख्या:** 184/2024 धारा 380 (IPC)

◦ **थाना:** सरवर्णपट्टी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु

6. **मुकदमा संख्या:** 004/2024 धारा 380 (IPC)

◦ **थाना:** सरवर्णपट्टी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु

7. **डिटेंशन डायरी नंबर:** 60/2024, टीपीडीए एक्ट, 1982 की धारा 3(1) (गुंडा एक्ट)

◦ **थाना:** सिटी क्राइम ब्रांच, कोयम्बटूर, तमिलनाडु

आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

क्राइम/सर्विलांस टीम, डीसीपी उत्तरी:

- हे०का० अवधेश गिरी
- हे०का० नदीम
- हे०का० संतोष कुमार
- हे०का० अमित कुमार गौतम
- का० राघवेन्द्र प्रताप सिंह

थाना मड़ियांव पुलिस टीम:

- उ०नि० श्री पुष्पेन्द्र चौधरी
- उ०नि० श्री नितिन कुमार
- उ०नि० श्री शुभम तिवारी
- उ०नि० श्री अखिलेश सिंह
- उ०नि० श्री अखिलेश कुमार
- उ०नि० श्री भूपेन्द्र सिंह
- उ०नि० श्री चन्द्रभान यादव
- हे०का० आकाश सिंह
- हे०का० गौरव कुमार सिंह
- का० जितेन्द्र पाल
- का० मनोज कुमार



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2385

दिनांक-30.09.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- नगराम

- 02 वर्ष से फरार चल रहा शातिर बांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- थाना नगराम पुलिस टीम की सफलता।

01- संक्षिप्त विवरण-

थाना नगराम में वर्ष 2023 में पंजीकृत मु0अ0सं0 175/23 धारा 379/429 भा0द0वि0 व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व मु0अ0सं0 205/23 धारा 379/428/120बी भा0द0वि0 व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में करीब 02 वर्ष से फरार चल रहा अभियुक्त अब्दुल्ला उर्फ रेहान पुत्र समीर अहमद उम्र 21 वर्ष निवासी किराये का मकान अस्तबल, यहियागंज थाना चौक जनपद लखनऊ स्थायी पता – ग्राम सिधौली सीतापुर रोड थाना सिधौली जनपद सीतापुर को नगराम पुलिस द्वारा मुखविर खास की सूचना पर पस्तरा गाँव से पूर्वान्वल एक्सप्रेस वे रसूलपुर अण्डर पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के विरुद्ध करीब 02 माह पूर्व भी गौकसी के प्रयास में थाना नगराम पर मु0अ0सं0 169/25 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश पंजीकृत है। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अब्दुल्ला उर्फ रेहान पुत्र समीर अहमद उम्र 21 वर्ष निवासी किराये का मकान अस्तबल, यहियागंज थाना चौक जनपद लखनऊ स्थायी पता – ग्राम सिधौली सीतापुर रोड थाना सिधौली जनपद सीतापुर

03-आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 175/23 धारा 379/429 भा0द0वि0 व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना नगराम लखनऊ
2. मु0अ0सं0 205/23 धारा 379/428/120बी भा0द0वि0 व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना नगराम लखनऊ
3. मु0अ0सं0 169/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम उ0प्र0 थाना नगराम लखनऊ

04- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना नगराम पुलिस टीम।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2386

दिनांक-30.09.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-नाका

- मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अंतर्गत थाना नाका पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर चैन स्नैचर / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
- कब्जे से छीनी गयी चैन बरामद ।

01-सक्षिप्त विवरण:-

महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अंतर्गत थाना नाका हिण्डोला पर वादिनी की तहरीरी सूचना जिसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिनी के गले से उनकी चैन खींच कर भाग जाने के सम्बन्ध दिया गया गया उक्त सूचना के आधार पर मु.अ.सं.-94/2025 धारा 304(2) बी.एन.एस बनाम अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत हुआ था।

साक्ष्य संकलन व माल-मुलजिमान की पतारसी सुरागरसी के क्रम में थाना नाका हिण्डोला पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन के पास से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चोरी हुये चैन जिसको अभियुक्त द्वारा गला कर टुकड़े में परिवर्तित कर दिया गया था, बरामद करते हुये फरार चल रहे/वांछित अभियुक्त आशीष सोनी उर्फ सनी सोनी उर्फ सनी चिकना पुत्र स्व0जय नरायण सोनी नि0 5/253 रजनीखण्ड थाना आशियाना जनपद लखनऊ उम्र 38 वर्ष को आज दिनांक 30.09.2025 को गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- आशीष सोनी उर्फ सनी सोनी उर्फ सनी चिकना पुत्र स्व0जय नरायण सोनी नि0 5/253 रजनीखण्ड थाना आशियाना लखनऊ उम्र 38 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग:-

01-मु.अ.सं.-94/2025 धारा 304(2)/317(2) बी.एन.एस थाना नाका हिण्डोला लखनऊ

05- बरामदगी-

➤ 01 अदद पीली धातु का टुकड़ा

06-अभियुक्त के आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 143/16 धारा 392 भादवि0 थाना आशियाना लखनऊ

2-मु0अ0सं0 202/16 धारा 392/506 भादवि0 थाना आशियाना लखनऊ

3-मु0अ0सं0 176/16 धारा 394/397/411 भादवि0 थाना बाजारखाला लखनऊ

4-मु0अ0सं0 179/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाजारखाला लखनऊ

5-मु0अ0सं0 950/16 धारा 413/420 भादवि0 थाना बाजारखाला लखनऊ